

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

अल्ट्राटेक सीमेंट

बनाम

वासुदेव

किस्मा मुकदमा

राजस्व प्रार्थना पत्र

नं०

429

सन्

2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 के मूल वाद संख्या 16522014 अनवानी अल्ट्राटेक बनाम वासुदेव वगैराह अंतर्गत धारा 88-188 RTA 1955 में निर्णय दिनांक 05.06.2018 द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मूल वाद का निस्तारण हो जाने से प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में इस प्रा०पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 165/2014 नि०दि० 05.06.2018 के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (तेजस्वी राणा)(I.A.S.) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ 23.10.2019</p>	

